


राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

विषय :- विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर आयोजित करने के क्रम में।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने समाज के कमजोर वर्गों के मध्य विधिक जागरूकता पैदा करने, उन्हें सरकारी जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं का तुरन्त लाभ दिलाने के लिये "मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर योजना" तैयार की है जो अपने आप में विस्तृत एवं स्पष्ट है।

यह योजना निश्चित रूप से समाज उपयोगी है, अतः योजना की प्रति सभी जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित विभागों को भेजकर निर्देश है कि इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के क्रम में विधिक सेवा संस्थाओं को भरपूर सहयोग प्रदान किया जावे।



(सी.एस.राजन)

मुख्य सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

अ.शा.टीप क्रमांक - एफ. 8(9)विधि-2/15/86
जयपुर, दिनांक 11-05-2015



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(फोन: 0141-227481, 2227555, फैक्स: 2227602, टोल फ्री हेल्पलाईन: 15100)

ईमेल: rj-slsa@nic.in

वेब साईट: www.rlsa.gov.in

क्रमांक :- एफ-1/संस्था-स्कीम/रालसा-2015/

दिनांक :-

परिपत्र

मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर योजना

समाज में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, विकलांग, मानसिक रूप से बीमार, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक, खनन क्षेत्रों में रोजगार जनित बीमारियों जैसे सिलिकोसिस, एसबेस्टोसिस, टी. बी. आदि से पीड़ित श्रमिक, बालक, महिलाएं, वृद्धजन एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारी जन-कल्याणकारी योजनाएं बना रखी है। आम लोगों के हित में कई कानून प्रभावी हैं जिनमें उनके अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित हैं। सरकारी विभागों की वेबसाईट पर इन जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। यदा कदा इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया पर इनका विज्ञापन भी होता है लेकिन हमारे यहाँ अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। दूरदराज गाँव, ढाणियों में रहते हैं। उनकी पहुँच इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया तक नहीं है। जिससे वे अशिक्षा एवं अज्ञान के कारण इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं।

विधिक सेवा संस्थाओं का कानूनी दायित्व है कि समाज में विधिक जागरूकता पैदा की जावे तथा पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में निशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान की जावे।

उक्त कानूनी दायित्व के निर्वहन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मासिक एक्शन प्लान के तहत विभिन्न विषयों पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये जाते हैं जो निश्चित रूप से जन उपयोगी हैं लेकिन यदि इनके साथ साथ नियमित अन्तराल पर सुनियोजित तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर लोक कल्याणकारी शिविर भी आयोजित किये जावें जिनमें विधिक चेतना के साथ-साथ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर दिया जावे तो ये शिविर समाज में लोकप्रिय होंगे, समाज के कमजोर वर्गों को वास्तविक

लाभ दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे जिससे विधिक सेवा संस्थायें अपने कानूनी दायित्वों के निर्वहन में समग्रता के साथ वास्तविक अर्थों में सफल हो सकेंगी।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्न कार्य योजना तैयार की गयी है:—

शिविर का नाम

- मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर

शिविर आयोजन स्थल

- पंचायत समिति मुख्यालय या किसी बड़ी ग्राम पंचायत का सार्वजनिक स्थान

शिविर की कार्ययोजना

- मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर प्रत्येक जिले में प्रति तीन माह के अन्तराल पर आयोजित किये जायेंगे।
- यह शिविर नालसा के निर्देश एवं रालसा के मासिक एक्शन प्लान की गतिविधियों के अतिरिक्त होंगे।
- लाभार्थियों की अनुमानित संख्या के अनुसार एक शिविर में एक पंचायत समिति या एक से अधिक पंचायत समितियों के समूह को सम्मिलित किया जा सकेगा।
- अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्रम विभाग एवं अन्य संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की जायेगी जिसमें पूरे जिले में आयोजित होने वाले विधिक जागरूकता एवं जनकल्याणकारी शिविरों की तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित किये जायेंगे जिसकी सूचना तुरन्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जावेगी।
- शिविर आयोजन के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव एवं जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आयोजक/समन्वयक होंगे जो नियमित अन्तराल पर शिविर आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तालुका स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं संबंधित उप खण्ड अधिकारी परस्पर समन्वय रखते हुए स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे।

- सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभाग प्रश्नगत शिविर आयोजन के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनायेंगे जो अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों की सूची अपने निर्देशन में ग्राम पंचायत सचिव पटवारी एवं पैरालीगल वोलेंटीयर या अपने विभागीय कर्मचारी के माध्यम से तैयार करायेंगे और पात्र लाभार्थियों को देय लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

शिविर आयोजन की पूर्व तैयारी

- पूर्व तैयारियों के क्रम में प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव, हल्का पटवारी एवं पैरालीगल वॉलेंटीयर की टीम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से विभागीय प्रभारी अधिकारियों के निर्देशन में निम्न लाभार्थियों की सूची तैयार करेगी:—
 - ऐसे विकलांग व्यक्ति जिन्हें ट्राई साईकिल या उनकी स्थिति के अनुरूप देय साधन नहीं मिल पाये हैं।
 - ऐसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति जिन्हें पेंशन, उपचार एवं अन्य देय लाभ नहीं मिले हैं।
 - पढ़ाई छोड़ देने वाले बालक जिनकी शिक्षा के अधिकार के तहत पुनः शिक्षा प्रारम्भ कराना आवश्यक है।
 - देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक।
 - वरिष्ठ नागरिक जो अपने उत्तराधिकारियों से जीवन निर्वाह के प्रति उपेक्षित हैं और इच्छुक होते हुए भी विधिक सहायता के अभाव में उनके खिलाफ निर्वाह भत्ते हेतु कार्यवाही नहीं कर पाये हैं।
 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी वर्गों के ऐसे छात्र जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है।
 - विधवा महिलायें जिन्हें विधवा पेन्शन नहीं मिली है।
 - वरिष्ठ नागरिक जिन्हें वृद्धावस्था पेन्शन नहीं मिली है।
 - बी.पी.एल. कार्ड/राशन कार्ड / आधार कार्ड / जाति प्रमाण पत्र आदि से वंचित व्यक्ति
 - नामान्तरण (Mutation), कृषि भूमि विभाजन के लम्बित मामले
 - आवेदन करने का बावजूद आबादी भूमि के पट्टे से वंचित व्यक्ति

- रोजगार जनित बीमारियों जैसे सिलिकोसिस, एसबेस्टोसिस, टी.बी. आदि से पीड़ित श्रमिक या मृतक श्रमिकों के परिवार जो नियमानुसार देय लाभों से वंचित हैं।
- अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के ऐसे पात्र व्यक्ति जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है।
- ग्राम पंचायत के सचिव, पटवारी एवं पैरा लीगल वॉलेन्टियर की टीम उपरोक्त सूचियां विषयवार अलग अलग तैयार करेंगी। सूची तैयार करते समय ही पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे एवं आवेदन हेतु आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करने में टीम उनकी मदद करेगी।
- उपरोक्त सूचियों एवं आवेदन पत्रों को संबंधित विभागों को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा और उनका विषयवार रिकार्ड टीम स्तर पर संधारित किया जायेगा।
- विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से निर्णय लिया जायेगा। एक भी आवेदन पत्र तकनीकी कारण से नामंजूर नहीं किया जायेगा बल्कि कोई कमी रह गई है तो उसकी पूर्ति कराई जाकर यथासंभव लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सरकारी योजनाओं के तहत देय लाभ को संभव होने पर शिविर आयोजन के पहले प्रदान कर दिया जाये एवं अनावश्यक शिविर के लिए लम्बित नहीं रखा जायेगा।
- शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूची अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी।

शिविर का प्रचार प्रसार

- जिले में आयोजित होने वाले विधिक जागरूकता एवं जनकल्याणकारी शिविर के आयोजन होने के स्थान, दिनांक व समय की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए ईलेक्ट्रॉनिक व प्रिन्ट मीडिया का प्रयोग किया जायेगा।
- सरपंचों, पंचो, ग्राम पंचायतों, आंगनबाडी केन्द्रों एवं ए.एन.एम. आदि के माध्यम से आम लोगों तक शिविर आयोजन की सूचना भेजी जायेगी।
- स्थानीय विद्यालय/महाविद्यालय के प्रिन्सिपल के जरिये सभी छात्रों को शिविर की जानकारी दी जायेगी ताकि वे अपने परिजनों तक शिविर की सूचना पहुंचा सकें।

- शिविर आयोजन के संबंध में सार्वजनिक स्थलों पर बैनर लगाये जाएंगे। पम्पलेट बनाकर वितरित किये जायेंगे जिनमें शिविर का दिनांक, समय, स्थान तथा शिविर में प्राप्त होने वाले लाभों की संक्षिप्त जानकारी होगी ताकि आवश्यक विवरण लोगों तक पहुंच सके और अधिकाधिक लोग शिविर का लाभ उठा सकें।

शिविर के प्रतिभागीगण

- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/पूर्णकालिक सचिव/अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति/जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/महिला एवं बाल विकास विभाग/ समाज कल्याण विभाग व अन्य सरकारी विभागों के अधिकारीगण, विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के उत्तरदायी अधिकारी, स्टाफ, जनप्रतिनिधि, स्वयं सेवी संगठन, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थीगण, उनके परिजन, समाज के गणमान्य लोग, विद्यार्थी, स्काउट गाईड, एन.सी.सी. पैरा लीगल वॉलियेन्टर्स एवं आमजन।

शिविर का आयोजन

- शिविर में लाभार्थियों एवं प्रतिभागीयों की संख्या का अनुमान लगाते हुये समय, मौसम व भवन के हिसाब से सार्वजनिक स्थल का चयन किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार टेन्ट की व्यवस्था की जायेगी।
- शिविर स्थल पर एक मंच बनाया जायेगा ताकि योजनाओं का लाभ उठाने वाले प्रतिभागियों को मंच पर बुलाकर योजनाओं का लाभ दिया जा सके जिसे जनता देख सके ताकि अधिक से अधिक लोगों में योजनाओं के प्रति उत्साह उत्पन्न हो।
- शिविर स्थल पर पेयजल की व्यवस्था के साथ-साथ शिविर में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवश्यक सुविधाओं का ख्याल रखा जायेगा।

शिविर की व्यवस्था का उत्तरदायित्व

- टेन्ट, मंच व शिविर आयोजन की व्यवस्था विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर की जायेगी।

शिविर आयोजन का व्यय

- शिविर आयोजन का व्यय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा धारा 4(सी) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत आवंटित बजट से किया जायेगा। यह व्यय पूर्ण मितव्ययता बरतते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

शिविर का संचालन

- मंच पर विधिक सेवा संस्था के अध्यक्ष, जिला प्रशासन, अन्य सरकारी विभागों के अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि बैठेंगे। शिविर की कार्यवाही का संचालन विधिक सेवा संस्था के अधिकारी या उनके निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

शिविर की कार्यवाही का क्रम

- विधिक सेवा संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा शिविर के उद्देश्यों, विधिक सेवा संस्थाओं का परिचय, विधिक सेवा संस्थाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में उद्बोधन दिया जायेगा। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की पात्रता एवं प्रक्रिया की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जायेगी।
- जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्र व्यक्तियों को उनका लाभ दिलाने की प्रक्रिया तथा लाभ प्राप्त करने में होने वाली किसी प्रकार की कठिनाई के निवारण की व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी।
- शिविर स्थल पर ही पूर्व की तैयारी के अनुसरण में विकलांगों को ट्राई साईकिल, पेंशन, छात्रवृत्ति, राशनकार्ड आदि का वितरण शिविर में किया जायेगा। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी शिविर स्थल पर प्रदान किया जायेगा।
- शिविर में या शिविर आयोजन की तैयारी के दौरान जो भी लाभ दिये गये हैं उनकी जानकारी उक्त मंच से सभी लोगों को दी जायेगी ताकि जन जन को जानकारी मिल सके और एक भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहे और आगे भी लोग इन शिविरों में बढ़चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हों।
- शिविर के अंत में विधिक सेवा संस्था के सचिव द्वारा शिविर में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापित किया जायेगा।

शिविर में उल्लेखनीय सहयोग के लिए प्रमाण पत्र

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन द्वारा शिविर के आयोजन में बढ़चढ़ कर भाग लेकर उल्लेखनीय सेवा व सहयोग करने वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे।

शिविर आयोजन की रिपोर्ट

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव जिला प्रशासन के अधिकारीगण से मिलकर शिविर आयोजन की रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट में शिविर की गतिविधियों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं में प्रदान किये गये लाभों का पूर्ण विवरण अंकित करने के साथ साथ महसूस की गयी कमियों एवं उनके निवारण का उपचार भी अंकित करेंगे ताकि आगामी शिविरों का बेहतर तरीके से आयोजन किया जा सके।

शिविर आयोजन एवं उपलब्धियों का प्रचार प्रसार

- शिविर आयोजन एवं उपलब्धियों की खबरें प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सघन रूप से प्रचारित प्रसारित की जायेंगी।
- शिविर की रिपोर्ट मय समाचार पत्रों की कटिंग व फोटोग्राफ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जायेंगी।

इस परिपत्र के माध्यम से प्रारम्भ की गई योजना में भरपूर सहयोग प्रदान करने हेतु श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार ने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव तथा सभी जिला कलेक्टर को अर्द्धशासकीय टीप क्रमांक एफ0 8 (9) विधि – 2 /15/86 दिनांक 11.05.2015 द्वारा निर्देशित किया गया है जो सुलभ सन्दर्भ के लिये संलग्न है। परिपत्र की प्रतिलिपि सभी सम्बंधित को पृथक पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है।

(सतीश कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

जयपुर